

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ।

विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0...../2026

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त सभी इण्टरस्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों में इण्टरमीडिएट सत्र 2026–2028 में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची जारी करने के संबंध में विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना ।


1. राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में सत्र 2026–28 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System for Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु विज्ञप्ति संख्या– पी0 आर0 74/2026 के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक 08.04.2026 से 18.04.2026 तक OFSS Website पर ऑनलाईन आवेदन (CAF) आमंत्रित किया गया था, जिसे बाद में अन्तिम रूप से विज्ञप्ति संख्या–पी0 आर0 84/2026 के माध्यम से दिनांक–25.04.2026 तक ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि विस्तारित किया गया था।
- 2 . समिति द्वारा दिनांक 25.04.2026 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यार्थियों द्वारा उनके माध्यमिक कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिये गये संस्थान एवं संकाय के विकल्प के आधार पर इण्टर कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 05.05.2026 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी, जिसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों का आवंटित शिक्षण संस्थानों में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक नामांकन किया जाना है। साथ ही प्रतिदिन नामांकित विद्यार्थियों की विवरणी को अगले दिन अनिवार्य रूप से OFSS वेबसाईट (<https://ofssbihar.net>) पर Online entry करके अद्यतन (Update) किया जाना है।
3. नामांकन की अवधि में सभी शिक्षण संस्थानों में प्रधानाध्यापक/प्राचार्य तथा सभी शिक्षकेत्तर कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो चयनित विद्यार्थियों के नामांकन संबंधी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि नामांकन कार्य में पर्याप्त संख्या में काउण्टरों की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं की जानी है, अतः यह आवश्यक है कि इण्टर कक्षाओं में नामांकन हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।
4. अतः उक्त के आलोक में इण्टर कक्षा में नामांकन के लिये विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउण्टरों की व्यवस्था की जाय, जिससे कि किसी भी दिन नामांकन के समय आवश्यकता से अधिक भीड़ नहीं हो। साथ ही, उक्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए।

OFSS के माध्यम से मान्यता प्राप्त उपर्युक्त श्रेणी के सभी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के प्रथम चरण में प्रथम चयन सूची (First Selection List) का निर्माण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया जा रहा है :-

- (i) इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संकायवार कुल संख्या
- (ii) विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाईन आवेदन में भरे गये संस्थान/संकाय का विकल्प
- (iii) विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत
- (iv) आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान
- (v) वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है) का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गयी है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को छूट्टे स्थान पर दिया है और उनका चयन उनके मेधा एवं आरक्षण के आधार पर आठवें नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें छूट्टे नम्बर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो छूट्टे विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा किन्तु शिक्षण संस्थान के लिये यह प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीट की संख्या के सीमा के अन्तर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या से अधिक उसी संस्थान में विद्यार्थियों ने इण्टर में नामांकन के लिये आवेदन दिया है तो वैसे स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जायेगा। शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को वह संस्थान नहीं दिया जायेगा, बल्कि उनके द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर उनको अन्य संस्थान आवंटित किया जायेगा।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा इण्टर में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) दिनांक 05.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे जारी किया जायेगा, जिसे संबंधित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों को उनके Login ID पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के अलग-अलग संकायों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Website पर दिनांक 05.05.2026 को जारी किया जायेगा, जिसे आवेदक <https://ofssbihar.net> पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम सूचना पत्र (Intimation Letter) भी निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे वे OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password अंकित कर देख सकते

  
Raju





तथा Reference ID/Barcode No. एवं अपना मोबाइल नं० अंकित कर Download भी कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनित अभ्यर्थियों को SMS भी भेजा जा रहा है।

7. अतः प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदनकर्ता दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक अपने आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम चयन सूची के आधार पर संबंधित विद्यार्थी OFSS Portal से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) का प्रिंट निकालकर संबंधित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) एवं आवश्यक सभी अभिलेख प्राप्त कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संकाय में लेंगे एवं OFSS Portal पर इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान का User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना अद्यतन (Update) करेंगे।

8. अगर कोई आवेदक उन्हें आवंटित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र 2026-28 में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में आगे जो चयन सूची जारी की जायेगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा अर्थात् उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

9. यदि कोई आवेदक प्रथम चयन सूची के तहत उन्हें आवंटित किए जाने वाले इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय से संतुष्ट नहीं है और दूसरा इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय चुनना चाहते हैं तो ऐसे आवेदकों के लिये आवश्यक है कि जिस इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय में नामांकन के लिये उनका नाम प्रथम चयन सूची के तहत आवंटित किया गया है, उस इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान में नामांकन अवश्य करायेंगे, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। आवंटित संस्थान में नामांकन कराने के बाद ही वे द्वितीय/तृतीय चयन सूची जारी होने पर वैसे उच्चतर प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन ले सकेंगे, जिसके लिये उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है जिसे स्लाइड अप प्रक्रिया कहते हैं:-

9.1 स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया :- प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थी दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक उनके द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु अपना ऑनलाईन विकल्प भर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक वे अपना नामांकन चयनित संस्थान/संकाय में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय/तृतीय चयन सूची में विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी Slide Up विकल्प में नया संस्थान/संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं।

9.2 अर्थात् अगर आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं हैं, तो वैसे विद्यार्थी दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक OFSS वेबसाइट के माध्यम से Student Login में जाकर उनके द्वारा दिये गये उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु Slide Up विकल्प पर सहमति दे सकते हैं, परन्तु नये संस्थान/संकाय का विकल्प न तो जोड़ सकते हैं अथवा ना ही बदल सकते हैं। Slide Up पर सहमति देने के पश्चात संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गये उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन होने की सम्भावना है।

3 इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये जारी प्रथम चयन सूची के अनुसार चयनित आवेदक को संबंधित संस्थान में नामांकन करना अनिवार्य है। आवेदकों को पुनः सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिये उन्हें आवंटित शिक्षण संस्थान से सम्पर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर चयनित आवेदक अपने प्रथम चयन सूची में आवंटित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय से संतुष्ट नहीं हैं तो भी उन्हें उस आवंटित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय में नामांकन लेना अनिवार्य है, ताकि Slide Up विकल्प भरने के बाद उनको दूसरी/तीसरी सूची में अन्य इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय आवंटित करने पर विचार किया जा सके। अगर वे प्रथम सूची में आवंटित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय में नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जायेगा और उनका नाम **OFSS System** से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में जो द्वितीय/तृतीय चयन सूची जारी की जायेगी, उसमें भी उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।


10. प्रथम चयन सूची में जिन आवेदकों का चयन (उनके द्वारा भरे गये विकल्पों में से उनके प्राप्तांक प्रतिशत एवं आरक्षण के आधार पर) किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है, वैसे आवेदक पुनः दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक OFSS वेबसाईट में Login करके अन्य नये शिक्षण संस्थान का विकल्प नामांकन हेतु दोबारा भर सकते हैं। नये विकल्प भरने हेतु आवेदक विकल्प के रूप में नये इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान में संकाय का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को न्यूनतम 10 (दस) विकल्प एवं अधिकतम 20 (बीस) विकल्प आवेदन पत्र में दोबारा भरना होगा। इन भरे गये विकल्पों के आधार पर दूसरी चयन सूची के लिये उनका यह नया आवेदन (CAF) मान्य होगा। इस कार्य हेतु आवेदकों को दोबारा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे आवेदकों को उनके दसवीं परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत इत्यादि के आधार पर द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में शिक्षण संस्थान आवंटित करने हेतु विचार किया जायेगा।

11. ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 350/- रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था, जिसमें 150/- रुपये आवेदन शुल्क एवं 200/- रुपये संस्थान शुल्क निहित था। अतः सभी इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/- रुपये प्रति नामांकित विद्यार्थी की दर से कुल राशि Demand Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से समिति द्वारा उन इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों को भेज दी जायेगी। अतः कोई भी इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान किसी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) अलग से नहीं लेंगे, सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य देय शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।


12. नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के लिये आवश्यक तथ्य:-

(i) 05.05.2026 को जारी किये जाने वाले प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन 05.05.2026 से 12.05.2026 तक संबंधित संस्थानों द्वारा लिया जायेगा।

(ii) संबंधित संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS वेबसाईट के संस्थान Login में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026

  
Lajiw







तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपडेट करते रहेंगे। ऐसा करना अनिवार्य इसलिए है ताकि संबंधित विद्यार्थी जो संस्थान में नामांकन लेंगे उनकी सीट OFSS वेबसाइट में भरी हुई (Filled) मानी जाय एवं प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची OFSS वेबसाइट के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए संबंधित संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

13. नामांकन के पश्चात् अगर विद्यार्थी अपने चयनित विकल्पों में किसी उच्चतर विकल्प वाले शिक्षण संस्थान में नामांकन के लिये इच्छुक है, तो वे नामांकन के पश्चात् OFSS वेबसाइट के Student's Login के माध्यम से Slide Up Option में अपनी सहमति दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक अवश्य दे दें।

14. उल्लेखनीय है कि प्रथम चयन सूची के तहत नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को द्वितीय सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तृतीय एवं अंतिम चयन सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले शिक्षण संस्थान का विकल्प प्राप्त हों, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन कराने में बार-बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस आलोक में OFSS के अन्तर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :-

- (i) OFSS के अन्तर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाय।
- (ii) तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी आगामी द्वितीय अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (iii) चयन प्रक्रिया के सभी चरण की समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी :-
  - (क) अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाय।
  - (ख) अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गयी है। अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उतनी अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा और अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि पूर्व के नामांकित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित शिक्षण संस्थान को अवश्य ही वापस कर

  
Rajiv



0/3

दिया जाय। साथ ही विद्यार्थी के पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाय।

15. नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निदेश: आवेदनकर्ता Computer से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) की प्रति प्राप्त करने के लिये अपना Common Application Form (CAF) की प्रति एवं अपना मोबाईल संख्या जो उन्होंने CAF भरने के समय उपयोग किया है, अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

- ♦ सर्वप्रथम आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से OFSS वेबसाईट <https://ofssbihar.net> पर जायेंगे।
- ♦ उसके पश्चात् होम पेज पर दिये गये लिंक "इण्टर/+2 कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन संबंधी इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय" की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये लिंक पर क्लिक करेंगे।
- ♦ क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./ Barcode No. एवं जिस मोबाईल नम्बर के माध्यम से उन्होंने Common Application Form भरा है, उसे सही-सही भरेंगे।
- ♦ आगे बढ़ने के पहले आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचना पुनः जाँच लेंगे कि सूचनायें सही भरी गयी हैं।
- ♦ वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् आवेदक चयनित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान एवं संकाय देख पायेंगे।
- ♦ उसके पश्चात् आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लेंगे।
- ♦ डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये सूचना पत्र (Intimation Letter), Common Application Form का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल अभिलेख यथा-10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान द्वारा मांगी जाय तथा उन प्रमाण पत्रों की स्वहस्तक्षारित दो-दो प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्रधानाचार्य/प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे।

16. इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों के लिये आवश्यक निदेश:

(i) जिस इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपस्थित होंगे उस शिक्षण संस्थान के Admission Incharge को वेबसाईट <https://ofssbihar.net> पर Login करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन OFSS वेबसाईट पर अपडेट हो गया है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी :-

- ♦ किसी भी वेब ब्राउजर से <https://ofssbihar.net> वेबसाईट खोलें।

Rajin

- ◆ खोलने के पश्चात् "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।
  - ◆ Portal Login लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें शिक्षण संस्थान का User Id एवं Password भरना होगा। भरने के पश्चात् Login बटन पर क्लिक करना होगा।
  - ◆ यदि संबंधित शिक्षण संस्थान का User ID एवं Password नहीं मिला है तो वे अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।
  - ◆ Login करने के पश्चात् संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को अपने डैशबोर्ड में बाईं तरफ "Admission" लिंक दिखाई देगा। वे "Admission" लिंक पर क्लिक करें।
  - ◆ "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् "Admission Update" पर क्लिक करें एवं Drop Down से संबंधित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान/संकाय चुन लें।
  - ◆ उसके पश्चात् संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके सामने वाले चेक बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् "Click to Save" बटन पर क्लिक करें।
  - ◆ "Click to Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् OK बटन पर क्लिक करें।
  - ◆ OK बटन पर क्लिक करने के पश्चात् संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में अपडेट हो जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान में हो गया है।
  - ◆ उपर्युक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान के लिये अति आवश्यक है, क्योंकि OFSS वेबसाईट में आवेदक का नाम अपडेट होने पर ही वह सीट भरा हुआ माना जायेगा, जिससे कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी की जाय, तो संबंधित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान के रिक्त सीट के लिये ही चयन सूची जारी हो सके।
- (ii) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक उन्हें आवंटित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में किया जायेगा। अतः संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS वेबसाईट के इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान Login में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपलोड करते रहें। ऐसा करना अनिवार्य इसलिए है ताकि संबंधित विद्यार्थी जिसका नामांकन इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान में लिया जायेगा, की सीट OFSS वेबसाईट में भरी हुई मानी जाय एवं प्रथम चयन सूची (First Selection List) के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची OFSS वेबसाईट के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए संबंधित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

(iii) दिनांक 05.05.2026 को जो विद्यार्थी संबंधित संस्थान में नामांकन लेंगे उनकी सूची OFSS वेबसाइट के संस्थान Login में दिनांक 06.05.2026 को निश्चित रूप से संस्थान द्वारा ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाय। इसी प्रकार, दिनांक 06.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 07.05.2026 को, दिनांक 07.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 08.05.2026 को, दिनांक 08.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 09.05.2026 को, दिनांक 09.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 10.05.2026 को, दिनांक 10.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 11.05.2026 को, दिनांक 11.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 12.05.2026 को एवं दिनांक 12.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 13.05.2026 को ही संस्थान द्वारा OFSS वेबसाइट पर Login कर अवश्य ही अपडेट कर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित संस्थान एवं उनके प्रधानाचार्य/प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(iv) चूँकि नामांकन निर्धारित समयावधि में लिया जाना है, अतः नामांकन की प्रक्रिया सुचारु रूप से एवं ससमय सम्पन्न हो, इसके लिये आपके स्तर से इस कार्य का प्रतिदिन सघन रूप से अनुश्रवण आवश्यक है। चूँकि इस अल्प अवधि में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होना है, अतः सभी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य को निदेश दिया जाता है कि नामांकन की प्रक्रिया हेतु न्यूनतम 04 (चार) काउन्टर (अधिकतम संख्या इससे अधिक भी रखी जा सकती है) रखा जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा हेतु प्रत्येक संस्थान द्वारा न्यूनतम 03-04 स्थलों पर उक्त संस्थान के लिये नामांकित विद्यार्थियों की सूची भी लगायी/चिपकायी जाय। सभी प्रधानाचार्य/प्राचार्य इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा तथा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

17. नामांकन के पश्चात् बेहतर विकल्प (Slide Up) हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निदेश:-

(i) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवंटित इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थान /संकाय में विद्यार्थी अपना नामांकन करायेंगे।

(ii) दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच किसी भी दिन ऐसे विद्यार्थी OFSS के वेबसाइट <https://ofssbihar.net> के Student's Log-in पर अपना User ID एवं Password से Login करते हुए स्लाइड अप (Slide Up) Option पर Click करेंगे तथा स्लाइड अप (Slide Up) हेतु वेबसाइट पर सहमति दें। इसके लिये निम्न प्रक्रिया है :-

(क) अपना User ID एवं Password से अपना पेज खोलें।

(ख) क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Slide Up Option दिखेगा।

(ग) Slide Up Option हेतु इच्छुक विद्यार्थी Slide Up Option के सामने दिये गये बटन को क्लिक करेंगे।

ii) विद्यार्थी Slide Up पर सहमति देने के कम में कोई संस्थान/संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही नया कोई संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं। किन्तु यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय चयन सूची के लिये सिर्फ वैसे ही विद्यार्थियों के Slide Up Option पर विचार किया जायेगा, जो प्रथम चयन सूची में नामांकित संस्थान में नामांकन करा लेंगे। यदि वे प्रथम चयन सूची में आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं कराते हैं, तो उनका आवेदन [Candidature] रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा भरे गये Slide Up Option पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

18. वैसे विद्यार्थी, जिनका चयन प्रथम चयन सूची (First Selection List) में नहीं होता है, के लिए आवश्यक सूचना : विद्यार्थी द्वारा दिये गये Choices (विकल्पों) वाले शिक्षण संस्थान के Cut Off Marks से कम प्राप्तांक रहने के कारण अथवा संकाय की न्यूनतम अर्हता (Minimum Criteria) पूर्ण नहीं करने के कारण जिन विद्यार्थियों का प्रथम चयन सूची (First Selection List) में चयन नहीं हो सका है, वैसे विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत है :-

- (i) विद्यार्थी OFSS Portal पर उपलब्ध सभी शिक्षण संस्थानों के सभी संकायों का प्रथम कटऑफ लिस्ट (First Cut Off List) देख लेंगे कि किन-किन शिक्षण संस्थानों/संकायों में किन-किन आरक्षण कोटि के अंतिम चयनित विद्यार्थी का क्या अंक प्रतिशत है।
  - (ii) दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच ऐसे विद्यार्थी OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password के माध्यम से अपना वेब पेज खोलेंगे।
  - (iii) प्रथम चयन सूची के कट ऑफ मार्क्स को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच OFSS Portal पर न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 विकल्प भरेंगे।
19. वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र (CAF) भरा गया है, परंतु किन्हीं कारणों से उनका भुगतान नहीं हो सका है, तो वे अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबसाइट पर Login करते हुए भुगतान कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के नाम पर द्वितीय/तृतीय चयन सूची के प्रकाशन के क्रम में विचार किया जा सकेगा।

### महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रथम चयन सूची जारी करने के पश्चात् :-

- (i) प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि:- दिनांक 05.05.2026
- (ii) नामांकन की अवधि :- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक
- (iii) शिक्षण संस्थान द्वारा OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> में Login कर सीट अद्यतन किये जाने की अंतिम तिथि :- दिनांक 13.05.2026 तक
- (iv) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिये ऑनलाईन आवेदन की अवधि :- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक
- (v) जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है, उसके लिये नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि :- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक

20. इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी समिति के वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर प्राप्त की जा सकती है।

21. विद्यार्थियों को नामांकन संबंधी सूचना प्रदान करने के लिये समिति द्वारा OFSS Bihar Info नाम से मोबाइल एप तैयार किया गया है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है। किसी भी Android Smart Phone पर उपलब्ध इस एप के इस्तेमाल से विद्यार्थी नामांकन संबंधी सूचना एवं अन्य जानकारियों प्राप्त कर सकते हैं।

22. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो हेल्पलाईन दूरभाष संख्या 0612-2230009/0612-2230051 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

५

संयुक्त सचिव (OFSS)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

ज्ञापांक— BSEB/OFSS/54/2026 /पटना,

दिनांक— 04-05-2026

- प्रतिलिपि:—
1. जन सम्पर्क पदाधिकारी को समाचारपत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
  2. उप निदेशक, आई0टी0 (OFSS)/सिस्टम एनालिस्ट (OFSS) को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं अन्य को इस विज्ञप्ति से अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।
  3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
  4. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं निदेशक, आई0टी0 को सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/26

संयुक्त सचिव (OFSS)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

Rajiv